यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **अगस्त 2017 से जनवरी 2021** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.02.2021 से 06.02.2021 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न पेयजल कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैर स्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2017-18			10200/ 2003	-	-	-	-			
2018-19				-	-	**15600.00**	**2600.00**		**13000.00**	
2019-20				-	-	**19484.84**	**693.00**		**18791.00**	
2020-21 (01/2021 तक)				-	-	**23262.47**	**696.14**		**22566.33**	

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

प्रबंध निदेशक), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

मुख्य अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

⬇

अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2019 एवं जनवरी 2021** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी – लागू नहीं

4. फार्म 51:

भाग प्रथम - लागू नहीं

भाग द्वितीय - लागू नहीं

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम –

(ख) सामग्री क्रय -

(ग) नगद परिशोधन - लागू नहीं

(घ) निक्षेप -

(ङ) भण्डार -

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -1 : अनुबंध के प्रावधान के अनुरूप विलंब हेतु परीनिर्धारित नुकसान (LD) `44,625 की कटौती ना किया जाना।

As per the GCC clause 50.1 "The operator shall pay liquidated damages to the authority at the rate per day stated in the contract data for each day that the trial and run commission date is later than the intended construction completion date (for the whole of the construction work or the milestone as stated in the contract data). The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in the contact data. The authority may deduct liquidated damages from payment due to the operator. Payment of liquidated damages does not affect the operator liabilities.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखंड रायपुर व सहसपुर के अंतर्गत पेयजल योजना की अनुमानित लागत ` 16398.48 लाख के विस्तृत प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 950 PU-27/18-19 दिनांक 14 फरवरी 2019 को दी गई थी। उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए मैसर्स तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट, C-60, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को ` 124.12 करोड़ का अनुबंध किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 04 नवंबर 2019 तथा पूर्ण करने की तिथि 03 नवंबर 2021 निर्धारित की गई थी। परियोजना के Milestones की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि Boring Construction and Development of Tube Well के कुल 19 Tube wells के कार्यों को पूर्ण करने की तिथि अनुबंध के अनुसार 04 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई थी लेकिन लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक 07 Tube wells का कार्य (7 में से 4 में भूमि प्रकरण के कारण) प्रारंभ नहीं किया गया था जबकि 12 Tube wells का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। जिन 03 ट्यूबवेल्स का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था उसका विवरण निम्न प्रकार से है:

Zone	Capacity (LPM)	Location	Physical Progress
Arcadia Grant	(1) 1800	G.P. Bhawan, Badowala	--
(Zone III)	(2) 1800	Milan Kendra, Badowala	--
	(3) 1800	Parwal near Temple	--

परियोजना के Bond Item Rate के अनुसार 1800 LPM के 08 नलकूपों के लिए कुल धनराशि ` 20.00 लाख निर्धारित की गई थी। सभी के निर्माण कार्य 04 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण किए जाने चाहिए थे, जोकि नहीं किए गए।

उपरोक्त कार्यों को निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किए जाने पर नियमानुसार परीनिर्धारित नुकसान (LD) **`44,625** /- (गणना सीट संलग्न) की कटौती की जानी चाहिए थी जोकि इकाई द्वारा नहीं की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पुनरीक्षित Milestones के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। सभी नलकूपों का निर्माण निश्चित अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित Milestones की छायाप्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

गणना सीट

परियोजना के Bond में वर्णित Milestones तथा BoQ के अनुसार LD की गणना निम्न प्रकार से की गयी:

1800 LPM के 08 नलकूपों के निर्माण का मूल्य = ` 2000000/-

अतः 01 नलकूप के निर्माण का मूल्य = `2000000/8

अतः 03 नलकूप के निर्माण का मूल्य = 2000000/8 x 3 = `7,50,000/-

परिनिर्धारित नुकसान (LD) 05.10.2020 से 31.01.2021 तक 7,50,000 × 0.05% = 44,625

भाग 2 (ब)

प्रस्तर - 2 : असमायोजित धनराशि ₹ 0.54 लाख।

शासनादेश संख्या 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03 दिसम्बर 2009 द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों, प्राधिकरण आदि में समेकित निधि से प्राप्त धनराशिओं पर अर्जित ब्याज को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ 04 –राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा किए जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गए थे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून के अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि इकाई द्वारा मेहुवाला पेयजल योजना एवं ढालवाला पेयजल योजना के अंतर्गत कुल 25 Tubewells के निर्माण लिए लेखापरीक्षा तिथि तक (फरवरी 2021) कार्यालय अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून को कुल धनराशि `914.747 लाख ट्रान्सफर की गयी थी, जिसमें से 05.02.2021 तक कुल धनराशि ` 715.745 लाख व्यय की जा चुकी है। उक्त Transfer धनराशि पर कार्यालय अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा बैंक खातों में लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2021) तक ` 54000/- ब्याज अर्जित किया गया है जिसको कार्यालय अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून से वापस लेकर शासनादेशानुसार शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून से अर्जित ब्याज की धनराशि प्राप्त कर शासकीय खाते में जमा करने हेतु प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1		शून्य		
2				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**इं सीता राम**	**अधिशासी अभियंता**	**01 जुलाई 2017 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II (N-PSU)